न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 20.12.2021

अपील संख्या 2021/143

उनवान

1. गोपाल लाल उम्र 60 वर्ष पुत्र स्वर्गीय चन्दालाल
2. जुगल किशोर उम्र 46 वर्ष पुत्र स्वर्गीय चन्दालाल
3. बृजमोहन उम्र 55 वर्ष पुत्र स्वर्गीय चन्दालाल
4. तुलसा बाई उम्र 42 वर्ष पुत्री स्वर्गीय चन्दालाल
5. प्रेम बाई उम्र 65 वर्ष पुत्री स्वर्गीय चन्दालाल

अकवाम जाति माली, निवासी वार्ड नं. 28, मोहल्ला सोरती पाडा, मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राजस्थान) .... अपीलांट

बनाम

1. मांगीलाल उम्र 72 वर्ष पुत्र बदर्या, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 28, मोहल्ला सोरती पाडा, मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राजस्थान)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सत्येन्द्र जमोदिया अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 17.01.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 29/2006 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 01.07.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के कब्जे कारत की आराजी खाता सं. 285 में खसरा नं. 3155 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नं. 3177 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं. 3993 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नं. 4018 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नं. 4396 रकबा 0.65 हेक्टर, खसरा नं. 4407 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 4412 रकबा 0.66 हेक्टर कुल किता 7 रकबा 2.71 हेक्टर वाके माल मांगरोल, तहसील मांगरोल है स्थित है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा बराबर बराबर है तथा इसी प्रकार ग्राम मांगरोल की आराजी खाता नं. 286 में खसरा नं. 555 रकबा 1.27 हेक्टर, खसरा नं. 583 रकबा 0.97 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 2.18 हेक्टर में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 का शामलाती हिस्सा है, तथा वादी एवं प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा समान रूप से बराबर–बराबर दर्ज हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 01.07.2016 से वादी का वाद डिक्री किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय व डिक्री फाइनल दिनांक 01.07.2016 विधि, न्याय एवं कानून में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है और प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। सम्पूर्ण निर्णय दिनांक 01.07.2016 का अवलोकन करने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के वकीलों की बहस का उल्लेख नहीं किया है, यह भी नहीं लिखा कि वकील वादी या वकील प्रतिवादी बंटवारा स्कीम से सहमत है या सहमत नहीं है। बंटवारा स्कीम बाबत् कोई आपत्ति प्रस्तुत की या नहीं, अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र अपने निर्णय में उभयपक्ष के वकीलों का नाम लिख दिया है। लेकिन वकील अपीलान्ट को या प्रतिवादी को सुना ही नहीं क्योंकि निर्णय राजस्व लोक अदालत केम्प मांगरोल में पारित किया गया है तथा एक तरफा फाइनल डिक्री पारित कर दी जो कानून के तहत नहीं माना जा सकता और प्रथम दृष्टया ही खारिज की जाने योग्य है। फाइनल डिक्री का निर्णय 01.07.2016 राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प मांगरोल में सुनाया जाना लिखा है, जबकि राजस्व लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र कागजी कार्यवाही पूरी की है, कानूनी प्रक्रिया का कतई पालना नहीं की है। फाइनल डिक्री दिनांक 01.07.2016 में स्पष्ट लिखा है कि "वादी ने स्वयं व प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार स्वयं की उपस्थिति में" इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट (प्रतिवादीगण) तो दौराने निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2016 उपस्थित ही नहीं थे, और उनकी गैर मौजूदगी में ही निर्णय पारित कर दिया ऐसे निर्णय एक तरफा निर्णय की श्रेणी में आते है और प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। बंटवारा प्रस्ताव (स्कीम) देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार मांगरोल व हल्का पटवरी मांगरोल ने प्रतिवादीगण (अपीलान्ट्स) को मौके पर नहीं बुलाया उनके कोई हस्ताक्षर नहीं करवाये, अपीलान्ट्स को बिना सुने ही बंटवारा स्कीम तैयार करके न्यायालय को भिजवायी जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया, जो कि प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। बंटवारा स्कीम के अनुसार खाता संख्या 754 की सम्पूर्ण आराजी खसरा नं. 555 रकबा 1.21 हे0, खसरा नं. 583 रकबा 0.97 हेक्टर पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त प्रारम्भ से ही रहा है यह आराजी पैतृक आराजी नहीं है, लेकिन अपीलान्ट को सुने बिना ही पटवारी हल्का मांगरोल ने बंटवारा स्कीम तैयार कर दी जबकि अपीलान्ट को पता नहीं है। यहां तक कि अपीलान्ट के वकील को भी पता नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 01.07.2016 अपास्त किये जाने योग्य है।

माननीय राजस्व मण्डल, अजमेंर द्वारा पारित व अधिनियम में उल्लेखित बंटवारा करने वास्ते नियम 18 से 21 तक की कोई पालना नहीं की गई है, इनके अभाव में पारित निर्णय व डिक्री खारिज की जाने योग्य है। प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.08.2013 की द्वितीय अपील माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेंर में पेश कर दी। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 01.07.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.11.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश करते हुए अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री के आधार पर दिनांक 01.07.2016 को फाइनल डिक्री पारित कर दी है और बिना इजराय के ही फाइनल डिक्री के आधार पर स्वयं न्यायालय ने आराजी का बंटवारा करते हुए खाता पृथक पृथक कर दिया जो कि प्रथम दृष्टया ही अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है।

अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व केम्प लोक अदालत ग्राम मऊ में प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स मौके पर मौजूद ही नहीं थे ना ही उनके किसी बंटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाये गये, ना ही उनकी जानकारी में है। हल्का पटवारी एवं तहसीलदार आराजी पर मौके पर जाकर ही बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया इस प्रकार आनन फानन में निर्णय के दिन ही बंटवारा प्रस्ताव लेकर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह पूरी तरह त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है। न्यायिक दृष्टान्त आर बी जे 2022 पेज नम्बर 726, पेज नम्बर 632, पेज नम्बर 465, पेज नम्बर 446 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की खण्ड पीठ में बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने से पूर्व नियम 18 से 21 की पालना किया जाना आदेशात्मक है और अधीनस्थ न्यायालय ने इन नियमों की अनदेखी करके फाइनल डिक्री पारित की है जो किसी भी प्रकार से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर अंतिम डिक्री पारित किये जाने योग्य है। लिखित बहस के साथ न्यायिक दृष्टान्त पेश किये जा रहे है।

अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत राजस्व केम्प ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल में प्रकरण का फाइनल निपटारा दिनांक 01.07.2016 को किया है। माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर की खण्ड पीठ के न्यायिक दृष्टान्त आर. बी. जे. 2022 पेज 50 के अनुसार लोक अदालत उसी वाद में आदेश पारित कर सकती है जो वाद दोनों पक्षकारों की सहमति के आधार पर उसको प्रेषित किया गया है लेकिन यहां पर अपीलान्ट्स व रेस्पो० या वादी अथवा प्रतिवादीगण ने कोई सहमति के आधार पर राजीनामा पेश नहीं किया है इस प्रकार इस प्रकरण को लोक अदालत में फैसल नहीं किया जा सकता है मात्र राज्य सरकार को लोक अदालत के आंकडे बताने के लिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अंतिम निर्णय पारित किया है जिससे अपीलान्ट्स को अपरिमित क्षति हुई है और अपीलान्ट्स न्याय प्राप्ति से वंचित हो गये है। न्यायिक दृष्टान्त आर. बी. जे. 2022 पेज 50 के अवलोकन से यह निर्णय प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत विधिनुसार बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित नहीं की है और लोक अदालत में प्रकरण का फैसला किया है। दोनों ही

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बिन्दुओं की इजाजत प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त नहीं देते है और पारित निर्णय खारिज किए जाने योग्य है जिससे अपीलान्ट्स को न्याय मिल सके।

जहां तक अपील पेश करने हेतु मियाद का प्रश्न है, अपीलांट्स ने अपने अपील मेमो की मद नंबर 6 में स्पष्ट रूप से लिखा है फिर भी माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त आर. आर. डी. 1989 पेज 45 और आर. आर. डी. 2002 पेज 65, आर. आर. डी. 1994 पेज 60 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी इस अपील में मियाद का बिन्दू अपने आप में समन किया जा सकता है। इन दोनों न्यायिक दृष्टान्तों में यह प्रतिपादित किया गया है कि जो निर्णय, आदेश प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरुद्ध हो कानून के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया हो जैसा कि लोक अदालत में निर्णय पारित करना नियम 18 से 21 की पालना नहीं करना विधि विरूद्ध होने से ऐसे प्रकरणों में मियाद का कोई प्रश्न नहीं होता है और इस प्रकार के निर्णयों को कभी भी जानकारी से चुनौती दी जा सकती है। इसलिए अपीलांट्स को न्याय से वंचित न करते हुए मियाद के बिन्दु को समन किया जावे और अपील मेरिट पर निर्णित की जावे।

अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त लिखित बहस व न्यायिक दृष्टान्त माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की रोशनी में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.07.2016 खारिज फरमाया जावे और अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली विशेष निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाये।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा लिखित बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपांत गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार ग्राम मांगरोल, तहसील मांगरोल की जमाबंदी खाता संख्या 285 कुल किता 7 रकबा 2.71 हेक्टर एवं खाता संख्या 286 कुल किता 2 रकबा 2.18 हेक्टर आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी के शामलाती खाते में दर्ज है। इस विवादित आराजी के क्रम में वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.08.2013 से तनकीवार विवेचन करते हुए वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर काउण्टर क्लेम प्रतिवादी क्रम 1 खारिज कर जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 के खाता सं. 285 व 286 वाके ग्राम मांगरोल में दर्ज आराजीयात का रकबा क्रमशः 2.71 हेक्टर व 2.18 हेक्टर में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के वारिसान को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अपीलांट प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील सं. 184/2013 दायर की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2013 से अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2013 को विधिसम्मत स्वीकार कर यथावत रखा गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पुनः तारीख पेशी पर लेते हुए तहसीलदार मांगरोल से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु तारीख पेशी नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अदालत/कोर्ट कैम्प शिविर मांगरोल में दिनांक 01.07.2016 को तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव को स्वीकार कर मांगीलाल पुत्र बदरया, जाति माली खसरा नं. 3155 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नं. 4018 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नं. 4407 रकबा 1.03 हेक्टर, खसरा नं. 4412 दक्षिणी रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा नं. 583 रकबा 0.97 हेक्टर, कुल 5 किता रकबा 2.44 हैक्टर लगान 69.36 रूपये दर्ज किया जाये। गोपाल, बृजमोहन, जुगलकिशोर पुत्र चन्दा, प्रेमबाई, तुलसाबाई पुत्रियां चन्दा जाति माली को खसरा नं. 3157 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं. 3993 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नं. 4396 रकबा 0.65 हेक्टर, खसरा नं. 4412 उत्तरी रकबा 0.41 हेक्टर, खसरा नं. 555 रकबा 1.21 हेक्टर, कुल किता 5 रकबा 2.45 हेक्टर लगान 71.36 रूपये दर्ज किया जावे। साथ ही दोनों के पृथक पृथक खाते दर्ज किये जाने हेतु निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 01.07.2016 को जारी की गई।

अपीलांट प्रतिवादी क्रम 1/1 ता 1/5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 01.07.2016 से अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मांगरोल में दिनांक 01.07.2016 को उसी दिन तहसीलदार मांगरोल से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 01.07.2016 जारी की गई। बंटवारा प्रस्ताव अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। लोक अदालत उसी वाद में आदेश पारित कर सकती है, जो वाद दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर उसको प्रेषित किया गया है लेकिन यहाँ पर अपीलांट व रेस्पोडेंट ने कोई सहमति के आधार पर राजीनामा पेश नहीं किया है। इस प्रकार इस प्रकरण को लोक अदालत में फैसल नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.07.2016 खारिज फरमाया जावे और अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली विशेष निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व फाइनल डिक्री के विरुद्ध अपील में अंकित किये गये उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मांगरोल 2016 में सुनवाई हेतु पक्षकारों को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करना पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है इससे यही स्पष्ट होता है कि बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारान् की अनुपस्थिति में तैयार किया गया। राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मांगरोल में दिनांक 01.07.2016 को पक्षकारान उपस्थित हुए या नहीं इसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से नहीं होती क्योंकि पत्रावली पर उपस्थिति के क्रम में पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इससे यह भी स्पष्ट नहीं होता कि पक्षकार प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव से सहमत थे या नहीं, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया या नहीं। राजस्व लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण दोनों पक्षों की सहमति या प्रस्तुत राजीनामें के आधार परं ही, किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों द्वारा कोई राजीनामा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पेश नहीं किया गया तथा पक्षकारों की बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति/असहमति पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होती।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 01.07.2016 खारिज की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार मांगरोल से बंटवारा प्रस्ताव पुनः प्राप्त कर उभयपक्ष को बंटवारा प्रस्ताव पर सुनवाई व आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् पुनः नये सिरे से निर्णय व फाइनल डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.03.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/01/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा